



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या-1355/रा0नि0आ0 अनु-2/925/2008 देहरादून

दिनांक 07 जुलाई, 2014

अधिसूचना

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या-1513/XII (1)-2014-86(17)/2013 दिनांक 04 जुलाई, 2014 के साथ संलग्न अधिसूचना संख्या-1508/XII(1)-2014-86(17)/2013 दिनांक 03 जुलाई, 2014 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में राज्य के 12 (बारह) जनपदों की कतिपय ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों के स्थानों/पदों के निर्वाचन जो प्रत्यादिष्ट हो जाने के कारण, नामांकन के दौरान विभिन्न पदों/स्थानों पर नामांकन न होने के कारण, मतदान अमान्य अथवा अन्य कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी रिक्त पदों/स्थानों पर, जो मा0 न्यायालय के किसी आदेश से बाधित न हो, पर अतिशीघ्र निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है। अतः मैं सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि ऐसे सभी रिक्त प्रधान ग्राम पंचायत के पदों तथा ग्राम पंचायतों के सदस्य के पदों/स्थानों का निर्वाचन निम्नानुसार विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायें:-


नामांकन की तिथियां व समय	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
15 व 16 जुलाई, 2014 प्रातः 10.00 से अपरान्हः 16.00 बजे तक)	17 जुलाई, 2014 (प्रातः 10.00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	18 जुलाई, 2014 (प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 16.00 बजे तक)	19 जुलाई, 2014 (प्रातः 10.00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	26 जुलाई, 2014 (प्रातः 07.00 बजे से 17:00 बजे तक)	28 जुलाई, 2014 को (प्रातः 8.00 बजे से कार्यसमाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायतों के उक्त रिक्त पदों/स्थानों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 08 जुलाई, 2014 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिये प्रेषित करते हुये तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

क्रमशः2

जिस पद/स्थान के लिए किसी उम्मीदवार की सामान्य निर्वाचन-2014 के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण मतदान रद्द (प्रत्यादिष्ट) कर दिया गया हो तो, ऐसे उम्मीदवार के लिये जिनका नाम निर्देशन मतदान रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा, तथा ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान रद्द किये जाने के पूर्व नियम 70 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, इस प्रकार से मतदान रद्द किये जाने के पश्चात् नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त पात्र न होगा। नियम-45 एवं नियम-100 के अधीन अमान्य किये गये मतदान के स्थान पर पुनर्मतदान दिनांक 26.07.2014 को समय-सारिणी के अनुसार कराया जायेगा।

इन निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा और वही पर मतों की गणना करते हुये तथा परिणाम भी घोषित किये जायेगे।


(सुबर्द्धन)


राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-1355/रा0नि0आ0अनु0-2/925/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ईमेल)

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना विकास/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
16. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
17. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
18. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
19. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

20. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
21. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
22. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
23. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
24. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
25. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
26. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
27. गार्ड फाईल अनुभाग-2।


(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।